COVID 19 Response

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समवर्ती अंकेक्षण-

समवर्ती अंकेक्षण की अवधि-- 27 अप्रैल 2020 से 7 मई तक

राज्य खाद्य आयोग और सोशल ऑडिट यूनिट का साझा प्रयास, झारखण्ड

भारत में राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन 25 मार्च को आधी रात को शुरू हुआ। अब हम लॉकडाउन 3.0 के अंतिम सप्ताह में हैं। COVID-19 के संक्रमण के अलावा भूख एक प्रमुख सामुदायिक मुद्दा है जिसका विशेषत प्रवासी मजदूरों और अन्य कमजोर समुदायों को सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने NFSA के अलावा भी खाद्य योजनाओं की घोषणा कि है जो गरीबों और जरूरतमंदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), ICDS एवं MDM के माध्यम से सुनिश्चित कराई जा रही है।

झारखण्ड की बड़ी आबादी गरीबी से प्रभावित है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ऐसे सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की छतरी प्रदान करती है और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस कानून के के अंतर्गत चार योजनायें संचालित की जाती है। जिसके माध्यम से 6 माह के बच्चे से लेकर वृद्ध, गर्भवती और धात्री महिलाओं, विद्यालय जाने वाले बच्चों को पका भोजन या सूखा अनाज कि व्यवस्था कि जाती है जिससे उनके पोषण स्तर में वृद्धि हो सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाएँ:

क्रम	योजना का नाम	लक्ष्य समूह	प्रमुख प्रावधान
1	लक्षित जन वितरण प्रणाली	86 % ग्रामीण गरीब 70 % शहरी	प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और अन्तोदय परिवार को 35 किलो। 1 रुपये प्रति किलो कि दर से ,PVTG परिवार को 35 किलो निःशुल्क
2	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों में पढने वाले क्लास 8 तक के बच्चे	विद्यालय में नाश्ता और दिन का गर्म पका खाना।
3	समेकित बाल विकास योजना	६माह से तीन वर्ष के बच्चे ,धात्री /गर्भवती महिला	धात्री ,गर्भवती ,6 माह से 3 साल तक के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन और 3 से 6 साल तक के बच्चों को नाश्ता और पका हुआ भोजन।
4	प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना	गर्भवती और धात्री महिला	पहले प्रसव के लिए तीन चरण में 5000/+1000/ JSY राशि कि सहायता।

झारखण्ड में योजनावार लाभुकों कि संख्या :

क्रम	योजना का नाम	कुल दूकान /विद्यालय /केंद्र	लाभुक परिवार	लाभुकों कि संख्या
1	लक्षित जन वितरण प्रणाली	25,447	57,14,423	2,63,37,080
2	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	35,773	-	27,14,523 (औसत)
3	समेकित बाल विकास योजना	38,432	-	33,52,908 (औसत)
4	प्रधान मंत्री मातृत्व वंदन योजना	-	-	3,71,160

सामाजिक सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य:-

कोरोना वायरस के प्रकोप के कारन उत्पन्न हुई lockdown की परिस्थिति के आलोक में इन योजनाओं की प्रासंगिकता और आवश्यकता तथा गरीब परिवारों की इन पर निर्भरता और अधिक बढ़ी है इसीलिए इन योजनाओं कि पहुँच, गुणवत्ता, निरंतरता की लगातार सामुदायिक निगरानी आवश्यक है। इस प्रक्रिया से लाभार्थियों को उनके हक़ और अधिकार की जानकारी होती है, वह शिकायत और सुधार की प्रक्रिया से अवगत होते हैं तथा पंचायत प्रतिनिधियों को निगरानी की विधि और जरुरत का बोध होता है। इस प्रक्रिया से नीतिगत स्तर पर भी बदलाव के लिए जमीनी स्तर से सुझाव प्राप्त होते हैं और योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित सुधार होता है। इसी परिकल्पना के तहत देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा इस मौके पर ये पहल प्रारंभ की गयी। राज्य खाद्य आयोग और सोशल ऑडिट यूनिट ,झारखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में ये काम झारखण्ड के 23 जिलों में प्रारंभ हुआ।

प्रक्रिया:

राज्य खाद्य आयोग और सोशल ऑडिट टीम ने मिलकर इस समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार किया, इसका प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। सोशल ऑडिट यूनिट के 50 सदस्यों ने प्रतिदिन एक जनवितरण प्रणाली दूकान से सम्बंधित 15-20 लाभार्थियों और अति गरीब लोगों से बात कर ऑनलाइन उनकी प्रतिक्रिया की प्रविष्टि की, वो वार्ड सदस्य और मुखिया से मिले, लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने, नाम जुडवाने, कार्ड सरेंडर करने तथा शिकायत करने का तरीका समझाया। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में ज़ेवियर समाज विज्ञान संस्थान के विद्यार्थियों की सहायता ली गयी।

झारखंड राज्य में 24 जिले और 262 प्रखंड हैं। झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति (ST) 26.42% और अनुसूचित जाति (SC) 11.63% है।

झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन ग्रामीण आबादी का अधिकांश हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है और देश के अन्य हिस्सों में सस्ते श्रम के रूप में पलायन करता है। कोविद - 19 ने ग्रामीण आबादी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है क्योंकि वे कृषि और श्रम-गहन कार्यों पर निर्भर हैं और रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में भी जाते हैं। तालाबंदी के कारण और ग्रामीण झारखंड के 8 लाख से अधिक मजदूर बाहर फंस गए हैं, श्रम गहन काम प्रभावित हुआ है और इसलिए वे अपनी आजीविका अर्जित करने में असमर्थ हैं।

COVID-19 की वजह से देश / दुनिया भर में आपातकाल की स्थिति है और मानव से मानव शरीर में इसका प्रसार बढ़ रहा है। हम सबसे खराब स्वास्थ्य और मानवीय संकट और सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इसका असर झारखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विनाशकारी हो सकता है।

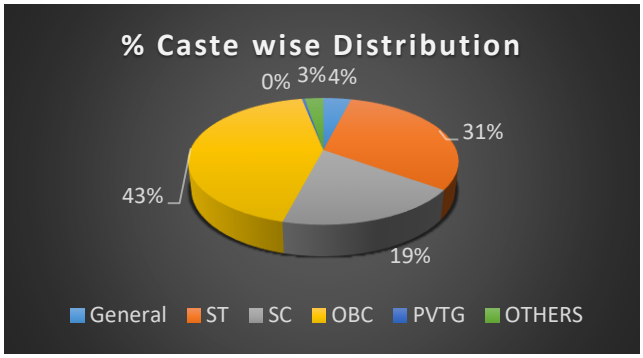

Figure 1. Percentage wise Caste distribution

समवर्ती अंकेक्षण के तहत पुरे झारखण्ड के 23 जिला एवं 254 प्रखंडों में प्रकिया संपादित की गई है किया गया। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में कुल 4428 लाभुक से संपर्क हुआ। इस अंकेक्षण प्रक्रिया में 364 पीडीएस डीलर में संपर्क हुआ सबसे अधिक OBC के 42.89% लाभुक से संपर्क हुआ जबकि सबसे कम 0.41% (18 PVTG परिवार) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संपर्क हुआ जो कि सबसे पिछड़ा हुआ तबका है।

इस अंकेक्षण में शामिल 4428 परिवारों के साथ तीन प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं को प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिसमे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), समेकित बाल विकास सेवाएं या आंगनवाड़ी केंद्र (ICDS) एवं मध्याह्न भोजन योजना (MDM) हैं।

➢ सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

PDS, ICDS and MDM - प्रथम चरण ऑडिट		
Category	**Beneficiaries covered**	**Percentage of Distribution**
General	175	4
ST	1373	31
SC	846	19
OBC	1899	43
PVTG	18	0
OTHERS	117	3
Total	**4428**	**100%**
Total Dealers Covered		**364**

समवर्ती अंकेक्षण के दौरान -COVID-19 की जानकारी देते हुए

❖ **जिलावार सूची कुल सर्वेक्षित किए गए परिवार:-**

कुल सर्वेक्षण किए गए परिवार		
Sr. No.	**Districts**	**No. of families covered**
1	Bokaro	79
2	Chatra	134
3	Deoghar	163
4	Dhanbaad	320
5	Dumka	135
6	East-Singhbhum	257
7	Garhwa	293
8	Giridih	396
9	Godda	238
10	Gumla	94
11	Hazaribaag	293
12	Jamtara	74
13	Koderma	187
14	Latehar	171
15	Loharadaga	73
16	Pakur	206
17	Palamu	376
18	Ramgarh	37
19	Ranchi	377
20	Sahibganj	175
21	Saraikela- Kharsawan	108
22	Simdega	102
23	West-Singhbhum	140
कुल सर्वेक्षित परिवार		**4428**

1) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) :-**

PDS- सार्वजनिक वितरण प्रणाली			
Availability of Ration Card- राशन कार्ड की उपलब्धता			
Yes		**No**	
4251 (96%)		177 (4%)	
If yes, People received ration for		**Applied for Ration Card**	
2 Months OR More	**1 Month**	**Yes**	**No**
3960	289	103	74

ऑडिट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), हमने पाया कि 4428 योग्य लाभुकों में 4251 लाभुकों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है तथा 177 लाभुकों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। 177 लाभुकों में 103 लोगों ने नया कार्ड के लिए आवेदन किया है, 74 लोगों ने अभी तक कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है। जो प्राथमिक दृष्टि से कार्ड पाने की योग्यता रखते हैं।

a) जिलावार परिवारों की सूची जिनके द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया:-

Districts	**Total Families Surveyed**	**No. of Families not applied for Ration Card**	**%**
Dumka	135	18	13.3
Simdega	102	10	9.8
Palamu	376	9	2.4
Giridih	396	9	2.3
Chartra	134	3	2.2
Pakur	206	4	1.9
Dhanbaad	320	6	1.9
Godda	238	4	1.7
Garhwa	293	4	1.4
Koderma	187	2	1.1
Ranchi	377	3	0.8
East-Singhbhum	257	2	0.8
Total	**3021**	**74**	**2.4**

उपरोक्त आंकड़ा से हमने यह पाया कि दुमका जिला में सबसे अधिक 13.3% परिवारों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है जबकि कोडरमा एवं पूर्वी सिंघभूम के 0.8% परिवार ने कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया।

b) जिलावार राशन कार्ड अनाज प्राप्ति की स्थिति:-

Got Ration at prescribed rate (with Ration card holder) (2 month or)		Got Ration at prescribed rate (for 1 month)		Received Ration from Panchayat (Ration card applied) 103 for new ration card	
Yes	No	Yes	No	Yes	No
3886	74	282	7	2	5

ऑडिट के तहत पाया गया कि राशन कार्ड धरी लाभुकों में 3886 लोगों ने 2 महीना का या उससे अधिक का राशन सरकारी दर में पाया जबकि 74 लोगों ने अधिक राशि दे कर राशन प्राप्त किया। कार्ड धरी लाभुकों में 282 लोगों ने 1 महीना का राशन सरकारी दर में पाया जबकि 7 लोगों ने अधिक राशि दे कर राशन प्राप्त किया। जिन 103 लाभुकों ने नया आवेदन किया था उसमे से केवल 2 ही लोगों को राशन प्राप्त हुआ बाकि लोगों को यह प्राप्त नहीं हुआ।

i) जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे 2 महीने या उससे अधिक माह तक निर्धारित दर पर राशन प्राप्त नहीं हुआ:

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families Not received Ration for 2 or more month	%
East Singbhum	257	18	7
Ranchi	377	22	5.8
Pakur	206	8	3.9
Bokaro	79	2	2.5
Giridih	396	10	2.5
Sahibganj	175	3	1.7
Garhwa	293	5	1.7
Simdega	102	1	1
West Singhbhum	140	1	0.7
Hazaribaagh	293	2	0.7
Godda	238	1	0.4
Palamu	376	1	0.3
Total	**2932**	**74**	**2.5**

उपरोक्त आंकड़ा से हमने पाया कि रांची एवं पूर्वी सिंघभूम दो ऐसे जिलें हैं जहाँ क्रमशः 5.8 % तथा 7.0 % परिवारों को 2 महीना या उससे अधिक माह का राशन सरकारी दरों में प्राप्त नहीं हुआ जबकि पलामू, गोड्डा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंघभूम में केवल 1.0% परिवार ही हैं जिन्हे सरकारी दरों में अनाज प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त परिवारों को निर्धारित दर से अधिक का भुगतान करना पड़ा है।

ii) परिवारों की संख्या जिन्हे 1 महीने का राशन निर्धारित दर पर प्राप्त नहीं हुआ:-

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families not received ration for 1 month	%
West Singhbhum	140	5	3.57
Bokaro	79	1	1.27
Ranchi	377	1	0.27
Total	**596**	**7**	**5.11**

उसी प्रकार से उपरोक्त आंकड़ों से हमने पाया कि पश्चिमी सिंघभूम जिला में, जहाँ **3.57%** परिवारों को 1 महीने का राशन सरकारी दरों में प्राप्त नहीं हुआ, जबकि बोकारो एवं रांची जिला में केवल 1.27%, 0.27%

परिवार ही हैं जिन्हे सरकारी दरों में राशन प्राप्त नहीं हुआ।

हज़ारीबाग़ ज़िले में ऑडिट के दौरान लाभुक अपना राशन

a) **राशन की गुणवत्ता एवं मात्रा :-**

Received Quantity as per provision of families receiving ration for two months:		Received Quantity as per provisions 1 month	
Yes	**No**	**Yes**	**No**
2062 (52.7%)	1898 (47.93%)	99 (34.26 %)	190 (65.74%)
Quality of Food grain received			
Good	**Satisfactory**	**Poor**	
3280 (77.19%)	949 (22.33%)	20 (0.47%)	

उपरोक्त आंकड़ा से हम यह समझते हैं कि जिन लाभुको को राशन प्राप्त हुआ उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा किस प्रकार का था। 2062 लाभुको जो कि 2 या उससे अधिक महीना का राशन उठाया है उन्होंने कहा कि उन्हें प्रावधान के अनुसार मात्रा प्राप्त की जबकि 1898 लोगों ने कहा कि उन्हें प्रावधान के अनुसार सही मात्रा प्राप्त नहीं हुआ। 99 लाभुकों ने जो कि एक (1) महीना का राशन उठाया है उन्होंने कहा कि उन्हें प्रावधान के अनुसार मात्रा प्राप्त हुआ, जबकि 190 लोगों ने कहा कि उन्हें सही मात्रा में राशन प्राप्त नहीं हुआ है।

समवर्ती अंकेक्षण के दौरान- 2 महीना या उससे अधिक माह तथा 1 महीना का राशन उठाने वाले लाभुकों ने जब प्राप्त हुए राशन की गुणवत्ता के बारे में बताया तो हमने पाया कि 3280 लाभुकों ने बताया है कि राशन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, 949 लोगों ने कहा संतोषजनक है , जबकि केवल 20 लोगों ने कहा कि राशन की गुणवत्ता ख़राब है।

a) **जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे 2 महीने या उससे अधिक माह का राशन निर्धारित मात्रा प्राप्त नहीं हुआ :-**

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families not received Quantity as per provisions	%
Jamtara	74	68	91.9
Palamu	376	276	73.4
Dumka	135	88	65.2
Sahibganj	175	104	59.4
Garhwa	293	172	58.7
Dhanbaad	320	176	55
Deoghar	163	85	52.1
Godda	238	118	49.6
Saraikela	108	51	47.2
Giridih	396	182	46
Ranchi	377	171	45.4
Ramgarh	37	16	43.2
Hazaribag	293	102	34.8
East Singhbhum	257	75	29.2
Latehar	171	47	27.5
Chatra	134	34	25.4

Pakur	206	49	23.8
Koderoma	187	40	21.4
Gumla	94	20	21.3
Bokaro	79	6	7.6
Simdega	102	7	6.9
Lohardaga	73	5	6.8
West Singhbhum	140	6	4.3
Total	**4428**	**1898**	**42.9**

उपरोक्त आंकड़ा से हमने पाया कि जामताड़ा के 91.9%, पलामू के 73.4%, दुमका के 65.2% परिवारों को उचित मात्रा में दो महीना या उससे अधिक माह तक राशन प्राप्त नहीं हुआ।

b) जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे 1 महीने का राशन निर्धारित मात्रा प्राप्त नहीं हुआ :-

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families not received Ration Quantity as per provisions	%
Simdega	102	31	30.39
Ranchi	377	55	14.59
Bokaro	79	9	11.39
Dhanbaad	320	26	8.13
Hazaribaagh	293	22	7.51
Pakur	206	13	6.31
Palamu	376	14	3.72
Garhwa	293	9	3.07
Ramgarh	37	1	2.7
East Singhbhum	257	6	2.33
Koderma	187	4	2.14
Total	**2527**	**190**	**7.5**

उपरोक्त आंकड़ा से हमने यह पाया कि सिमडेगा के 30.39%, रांची के 14.59% एवं बोकारो 11.39% परिवारों को उचित मात्रा में एक महीना का राशन प्राप्त नहीं हुआ।

2) मध्याह्न भोजन योजना (MDM)

मध्यान भोजन योजना	
No. of Families with children attending class 8 & below out of 4428 families	
Yes	**No**
1767 (39.1%)	2661 (60.1%)

उपरोक्त समवर्ती ऑडिट के आंकड़ा से हमने यह पाया कि कक्षा 8 या उससे नीचे की कक्षा के, जिसमे 1767 परिवार के बच्चे मध्याह्न अनाज प्राप्त कर रहे हैं वहीं 2661 परिवारों के बच्चे इस आयु वर्ग में नहीं है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अनाज प्राप्त करते हुए

i) एमडीएम के तहत 1767 परिवारों में से अनाज प्राप्त किया :-

No. of families received food grain under MDM out of 1767 families		
Yes	**No**	**%**
1414	353	20%

ऑडिट के तहत हमने पाया कि कुल 1767 परिवारों परिवारों के बच्चे में से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1414 परिवार ने ही अनाज प्राप्त किया था वहीं 353 परिवार ने अनाज प्राप्त नहीं किया।

a) **जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के अंतर्गत अनाज नहीं मिला:-**

Districts	Total families Surveyed	No. of Families not received grain	%
Godda	238	65	27.3
Giridih	396	59	14.9
Koderma	187	23	12.3
Jamtara	74	8	10.8
Deoghar	163	16	9.8
West-Singhbhum	140	13	9.3
Sahibganj	175	16	9.1
Pakur	206	17	8.3
Garhwa	293	24	8.2
Chatra	134	10	7.5
Latehar	171	12	7
Palamu	376	23	6.1
Hazaribaag	293	15	5.1
Dhanbaad	320	15	4.7
East-Singhbhum	257	11	4.3
Gumla	94	4	4.3
Simdega	102	4	3.9
Dumka	135	5	3.7
Saraikela-Kharsawan	108	4	3.7
Ranchi	377	7	1.9
Lohardaga	73	1	1.4
Bokaro	79	1	1.3
Total	**4391**	**353**	**8.0**

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 353 परिवारों में से - गोड्डा में 27.3% परिवार एवं गिरिडीह में 14.9% परिवार ऐसे हैं जिन्हे मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के अंतर्गत अनाज प्राप्त नहीं हुआ।

मध्याह्न भोजनयोजना के अंतर्गत बच्चा अनाज प्राप्त करते हुए

i) **समवर्ती ऑडिट दौरान एमडीएम के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा प्राप्त की :-**

Received quantity of food grain as per provisions of MDM during this period out of 1414 families :	
Yes	**No**
853	561

कुल 1414 परिवारों में से 853 परिवारों ने कहा कि, उन्हें मध्याह्न भोजन योजना के आधार पे ही मात्रा प्राप्त हुआ, जबकि 561 परिवारों ने कहा उनको जो अनाज प्राप्त हुआ उसका गुणवत्ता एवं मात्रा सटीक नहीं थी।

a) जिलावार परिवारों की संख्या जिन्हे मध्याह्न भोजन योजना के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्न कि मात्रा/ सामग्री की गुणवत्ता नहीं प्राप्त हुआ की स्थिति:

Districts	Total families Surveyed	No. of Families not received as per provision	%
Koderma	187	64	34.2
Gumla	94	28	29.8
Pakur	206	61	29.6
Giridih	396	109	27.5
Garhwa	293	77	26.3
Ramgarh	37	6	16.2
Sahibganj	175	28	16
Lohardaga	73	11	15.1
Dumka	135	17	12.6
Jamtara	74	9	12.2
Latehar	171	17	9.9
Dhanbaad	320	26	8.1
Deoghar	163	11	6.7
Chatra	134	9	6.7
Ranchi	377	24	6.4
Palamu	376	20	5.3
West-Singhbhum	140	7	5
Saraikela Kharsawan	108	5	4.6
East-Singhbhum	257	11	4.3
Godda	238	9	3.8
Hazaribaag	293	9	3.1
Simdega	102	3	2.9
Total	**4349**	**561**	**12.9**

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 561 परिवारों में से - सबसे अधिक कोडरमा 34.2%, गुमला 29.8%, एवं पाकुड़ में 29.6% परिवार ऐसे हैं जिन्हे मध्याह्न भोजन के तहत अनाज सही मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ।

ii) मध्याह्न भोजन गुणवत्ता एवं नुकसान भरपाई भत्ता प्राप्त :-

Quality of Food grain received out of 1414 families		
Good	**Satisfactory**	**Poor**
1206	193	15
Received amount of money under MDM during this period		
Yes		**No**
791		68

समवर्ती ऑडिट में हमने पाया कि 1414 परिवारों में से 1206 परिवार ने कहा कि मध्याह्न अनाज की गुणवत्ता बहुत ही अच्छा है, 193 परिवारों ने कहा कि यह संतोषजनक है जबकि 15 परिवारों ने कहा कि यह बहुत ही ख़राब है।

b) मध्याह्न भोजन के प्रावधानों के अनुसार भत्ता की राशि प्राप्त की:-

Received amount of money under MDM during this period	
Yes	**No**
859	908

ऑडिट में हमने पाया कि कुल 1767 परिवार में से मध्याह्न भोजन योजना के प्रावधानों के अनुसार 908 परिवारों को राशि प्राप्त नहीं हुई।_जबकि 859 परिवारों को राशि प्राप्त हुई।

a) **जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे मध्याह्न भोजन के प्रावधानों के अनुसार नगद राशि प्राप्त नहीं हुआ:-**

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families not received amount as per provision	%
Koderma	187	88	47.1
Giridih	396	179	45.2
Pakur	206	80	38.8
Garhwa	293	107	36.5
Gumla	94	32	34
Godda	238	71	29.8
Jamtara	74	17	23
Sahibganj	175	35	20
Dumka	135	24	17.8
Latehar	171	30	17.5
Ramgarh	37	6	16.2
Deoghar	163	24	14.7
Lohardaga	73	10	13.7
West-Singhbhum	140	17	12.1
Dhanbaad	320	38	11.9
Palamu	376	41	10.9
Hazaribaag	293	28	9.6
Chatra	134	12	9
East-Singhbhum	257	23	8.9
Ranchi	377	31	8.2
Saraikela	108	8	7.4
Simdega	102	6	5.9
Bokaro	79	1	1.3
Total	**4428**	**908**	**20.5**

उपरोक्त तालिका से यह पाया कि 908 परिवारों में से - सबसे अधिक कोडरमा में 47.1% परिवार एवं गिरिडीह में 45. 2% परिवार ऐसे हैं जिन्हे मध्याह्न भोजन योजना के तहत राशि प्राप्त नहीं हुई।

iii) **859 परिवार जिनमे मध्याह्न भोजन के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्न भत्ता प्राप्त हुआ:-**

Received amount of money under MDM during this period under 859	
Yes	**No**
791	68

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 791 परिवारों ने कहा कि उन्हें मध्याह्न अनाज का नगद राशि प्राप्त हुआ जबकि 68 परिवारों को यह प्राप्त नहीं हुआ।

a) **प्रावधान के अनुसार जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे मध्याह्न भोजन के प्रावधानों के अनुसार नगद राशि प्राप्त नहीं हुआ:-**

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families Not received amount	%
Pakur	206	17	8.3
Sahibganj	175	11	6.3
Chatra	134	7	5.2
Lohardag	73	2	2.7
Dhanbaad	320	6	1.9
Deoghar	163	3	1.8
Godda	238	4	1.7
Palamu	376	6	1.6
West-Singhbhum	140	2	1.4

Simdega	102	1	1
Saraikela-Kharsawan	108	1	0.9
Garhwa	293	2	0.7
Latehar	171	1	0.6
Koderma	187	1	0.5
Giridih	396	2	0.5
East-Singhbhum	257	1	0.4
Hazaribaag	293	1	0.3
Total	**3632**	**68**	**1.9**

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 68 परिवारों में से सबसे अधिक पाकुड़ में 8.3% परिवार एवं साहिबगंज में 6.3% परिवार ऐसे हैं जिन्हे मध्याह्न भोजन के तहत नगद राशि **प्राप्त** नहीं हुआ।

3) समेकित बाल विकास सेवाएं या आंगनवाड़ी केंद्र (ICDS):-

ICDS (III)	
No. of surveyed families with Pregnant/Lactating mother or with children below 5 years of age	
Yes	**No**
1225	3203

समवर्ती ऑडिट के पाया गया की कुल 4408 सर्वेक्षित परिवारों में 1225 ही ऐसे हैं जिनमे में गर्भवती/ धात्री इस 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाले की आंगनवाड़ी केंद्र से सम्बंधित है।

i) आंगनवाड़ी केंद्र के साथ पंजीकृत 1225 परिवारों की पंजीकरण से सम्बंधितजानकारी:-

No. of Families Registered with Anganwadi kendra out of 1225 families		
Yes	**No**	**%**
1086	139	80%

ऑडिट में हमने पाया कि कुल 1225 में से 1086 परिवार आंगनवाड़ी केंद्र में तहत पंजीकृत है, जबकि 139 परिवार पंजीकृत नहीं है जिस कारण वह इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

a) जिलावार परिवारों की सूची जों आंगनवाड़ी केंद्र पंजीकृत नहीं है:-

Districts	Total Families Surveyed	No. of Families not registered under AWC	%
Pakur	206	17	8.3
Sahibganj	175	11	6.3
Chatra	134	7	5.2
Lohardag	73	2	2.7
Dhanbaad	320	6	1.9
Deoghar	163	3	1.8
Godda	238	4	1.7
Palamu	376	6	1.6
West-Singhbhum	140	2	1.4
Simdega	102	1	1
Saraikela-Kharsawan	108	1	0.9
Garhwa	293	2	0.7

Latehar	171	1	0.6
Koderma	187	1	0.5
Giridih	396	2	0.5
East-Singhbhum	257	1	0.4
Hazaribaag	293	1	0.3
Total	**3632**	**68**	**1.9**

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 139 परिवारों में से - सबसे अधिक पाकुड़ में 8.3% परिवार वहीं गिरिडीह में 6.3% परिवार आंगनवाड़ी केंद्र से पंजीकृत नहीं है।

ii) आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण आहार प्राप्त किया:

eived nutritional supplement from the anwadi centre out of 1086 families	
Yes	**No**
717 (66%)	369 (34%)

पंजीकृत 1086 परिवारों में से केवल 717 परिवारों को आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण आहार प्राप्त किया जबकि 369 परिवारों को पोषण आहार प्राप्त नहीं हुआ।

a) जिलावार परिवारों की सूची जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण आहार प्राप्त नहीं किया :-

Districts	Total Families Surveyed	No. of families not received grain	%
Ramgarh	37	12	32.4
Jamtara	74	17	23
Godda	238	50	21
Deoghar	163	25	15.3
Chatra	134	20	14.9
Dhanbaad	320	46	14.4
Giridih	396	53	13.4
Palamu	376	41	10.9
Pakur	206	22	10.7
Sahibganj	175	11	6.3
Lohardaga	73	4	5.5
Garhwa	293	15	5.1
Dumka	135	6	4.4
Koderma	187	8	4.3
Ranchi	377	15	4
Saraikela	108	4	3.7
Simdega	102	3	2.9
West-Singhbhum	140	4	2.9
Latehar	171	4	2.3
East-Singhbhum	257	6	2.3
Hazaribaagh	293	3	1
Total	**4255**	**369**	**8.7**

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 369 परिवारों में से - सबसे अधिक रामगढ़ 32.4% परिवार, वहीं जामताड़ा में 23.0% परिवार एवं गोड्डा 21.0% परिवारों को आंगनवाड़ी केंद्र से पोषण आहार प्राप्त नहीं हुआ।

लाभुक को COVID-19 की जानकारी देते हुए

iii) आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त पोषण आहार की गुणवत्ता एवं मात्रा (717 परिवारों में):-

Received quantity of Nutritional supplement as per ICDS provision for this period as far:	
Yes	**No**
570 (72.1%)	147 (20.5%)

Quality of Nutritional supplement received		
Good	**Satisfactory**	**Poor**
532 (74.2%)	12 (1.7%)	173 (24.1%)

समवर्ती ऑडिट में हमने पाया कि कुल 717 में से 570 परिवारों को ही आंगनवाड़ी केंद्र के तहत मिल रहे पोषण आहार की मात्रा सटीक मिल पा रही है, जबकि 147 को उचित मात्रा प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने यह भी पाया कि आंगनवाड़ी केंद्र में के तहत मिल रहा पोषण आहार को 532 परिवारों ने बहुत अच्छा कहा जबकि केवल 12 परिवारों को यह संतोषजनक लगा और 173 ने साझा किया कि आहार की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है।

a) जिलावार परिवारों की सूची जिन्हे ICDS प्रावधान के अनुसार खाद्यान्न मात्रा प्राप्त नहीं हुआ:-

Districts	Total Families Surveyed	No. of families not received quantity as per provision	%
Simdega	102	15	14.7
Giridih	396	49	12.4
Pakur	206	21	10.2
Saraikela-Kharsawan	108	7	6.5
Sahibganj	175	8	4.6
West-Singhbhum	140	6	4.3
Latehar	171	7	4.1
Koderma	187	7	3.7
Dumka	135	4	3
Garhwa	293	8	2.7
Godda	238	5	2.1
Deoghar	163	3	1.8
Lohardag	73	1	1.4
East-Singhbhum	257	2	0.8
Dhanbaad	320	2	0.6
Palamu	376	1	0.3
Ranchi	377	1	0.3
Total	**3717**	**147**	**4.0**

उपरोक्त तालिका से हमने पाया कि 147 परिवारों में से - सबसे अधिक सिमडेगा 14.7% परिवार वहीं गिरिडीह में 12.4% परिवार को आंगनवाड़ी केंद्र से मात्रा में पोषण आहार प्राप्त नहीं हुआ।

महिला लाभुक के साथ ऑडिट करते हुए

आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त पोषण आहार को दिखती हुई महिला दीदी

अनुशंसाएं:

1 कार्ड में ही टोल फ्री नंबर और *DGRO* से शिकायत का प्रपत्र अंकित होना चाहिए जिससे लाभार्थी कोई समस्या होने पर संपर्क कर सकें ।

2 जिस डीलर को शिकायत के आधार पर तत्काल वितरण से अलग किया गया हो उनको दुसरे डीलर से सम्बद्ध करने की जगह पंचायत में एक दूकान का सञ्चालन उचित होगा ।

3 साल में एक बार कैंप मोड में पंचायतों में छूटे नाम की प्रविष्टि या मृतक का नाम हटाने हेतु प्रबंध किये जाने चाहिए ।

4 कम राशन की शिकायत को दूर करने के लिए 5 ***kg*** का पैकेट तैयार किया जाना चाहिए ।

5 जिस माह का राशन दिया जा रहा हो वह उस दूकान पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ।

6 निगरानी समिति के सदस्यों का विधिवत प्रशिक्षण किया जाना चाहिए ।

7 पंचायत प्रतिनिधियों को निगरानी के कार्य में कारगर ढंग से जोड़ने की पहल होनी चाहिए ।

8 राशन प्राप्ति रसीद लाभुक को प्राप्त होने की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमे माह और मात्र अंकित हो ।

9. सभी PDS दुकानों में Digital Weighing Scale की व्यवस्था उपलब्ध की जानी चाहिए, जिससे वजन सम्बंधित शिकायतों में पारदर्शिता रहे।

अनुभव:

सोशल ऑडिट यूनिट के लिए ऑनलाइन समवर्ती अंकेक्षण का यह पहला मौका था और इससे टीम को प्रक्रिया, प्रावधान, समस्या और समाधान के बारे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला राज्य खाद्य आयोग के सक्रिय सहयोग से और

पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी से कई समस्याओं का त्वरित समाधान भी हुआ। व्यक्तिगत कुल 323 से अधिक शिकायतों पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने और समूह द्वारा 3917 मामलों में राज्य खाद्य आयोग ने संज्ञान लिया है। इस प्रक्रिया से नियमित सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस की गयी ।

लाभुक अपने कार्ड के साथ समवर्ती ऑडिट की जानकारी देते हुए

जिलावार शिकायत की सूची

Number of Complaints and beneficiaries District wise			
Sl. No.	District	No. of Complaints	No. of beneficiary registered complaint
1	West Singhbhum	6	199
2	Sahebganj	20	354
3	Saraikela kharsawan	9	418
4	Ranchi	92	499
5	Ramgarh	4	22
6	Palamau	23	1089
7	Pakur	23	392
8	Latehar	2	51
9	Koderma	6	13
10	Khuti	1	187
11	Jamtada	13	86
12	Hazaribagh	8	41
13	Gumla	1	13
14	Godda	86	893
15	Giridih	15	173
16	Garhwa	14	603
17	East Singhbhum	12	152
18	Dumka	14	150
19	Deogarh	7	86
20	Chatra	7	16
21	Bokaro	14	2446
22	Dhanbad	14	114
23	Lohardaga	2	2
Total		393	7999

जनवितरण प्रणाली केंद्र

स्कूल से बच्चा मध्याह्न भोजन का अनाज प्राप्त करते